



॥ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), बांसवाड़ा ॥

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृ०वे०श्रुं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा - माध्य / संस्था/ एफ-1/12102/ सी.भ./शाशि ग्रेड।।। /2017-18 दिनांक 27.11.2019 एवं 07.01.2020 के अनुसार टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों की राज्य/राज्य से बाहर की संस्थाओं से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धित जॉच उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित अभ्यर्थियों को तृ०वे०श्रुं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर काउंसलिंग दिनांक 04.12.2019 एवं 10.01.2020 को प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रुपये प्रतिमाह अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये (पूर्व में सेवारत होने की स्थिति विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक -प 8 (1) /क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधान अनुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

इन्हें दिनांक 20.05.2020 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

1. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिको हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध एवं मान्य नहीं पाई गयी तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में फिक्स रेम्युनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पुर्ति भत्ता/मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन/बोनस/आदि देय नहीं होगा।
7. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा, सामान्यतः प्रावधायी निधि आदि कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
8. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
9. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:-एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेम्युनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।

५२५

10. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई.(03 वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति कर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
11. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।
13. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
14. टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसार जारी किये गये पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
15. आवेदक से दहेज नहीं लिये जाने का स्व. घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
16. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
17. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधिन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019, 18491/2019, 18010/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्वधीन रहेगी।

इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवावे तथा कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

सलग्न :- सूची 01 से 04

*cc
(मावजी खांट)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा
14 दिनांक:-05.05.2020

क्रमांक:-जिशाअमु/मा/बांस/संस्था-1/फा.शाशि. नियुक्ति-2018/2019-2020/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा बांसवाड़ा।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाड़ा।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प0स0.....जिला बांसवाड़ा।
11. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. संबंधित पीईईओ.....जिला बांसवाड़ा।
13. संबंधित संस्थाप्रधान.....
14. सम्बन्धीत आशार्थी श्री.....
15. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।






*cc
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक:-जिशाअमु/मा/बांस/संस्था-1/फा.शाशि. नियुक्ति-2018/2019-2020/ 14

दिनांक:-05.05.2020

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 पदस्थापन आदेश

क्र. सं.	रोल नं.	मेरिट नं.	चयन वग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जिला	अभ्यर्थी फोटो
1	523160	4167	GEN	KAMLESH SEVAK	MAHENDRA SEVAK	15-Dec-89	vil-vajakhara po-sagwadiya teh-garhi partapur PINCODE 327025 DIST. BANSWARA	GOVT.U.P.S.DOLAT SINGH KA GADA(08280105901)	GHATOL	BANSWARA	
2	521830	6177	GEN	MUKESH CHANDRA PATIDAR	KACHRU PATIDAR	27-Aug-88	VILLAGE VAJAKHARA POST SAGWADIYA TEHSIL GARHI VAJAKHARA PINCODE 327025 DIST. BANSWARA	GOVT.U.P.S.GATIWADALA(08280100114)	GHATOL	BANSWARA	
3	503886	6365	GEN	DEVI LAL PATIDAR	VALJI PATIDAR	18-Jul-75	VPO DIWARA BADA TEH SAGWARA - DIWARA BADA PINCODE 314031 DIST. DUNGARPUR	GOVT. U.P.S. DEVLIA AADA(08280119201)	GHATOL	BANSWARA	
4	513391	7082	GEN	PRADEEP PRAJAPAT	DEVILAL PRAJAPAT	14-Sep-96	SURPUR, -, SURPUR	GOVT.U.P.S. JHARKNIYA(08280112301)	GHATOL	BANSWARA	
5	515968	10370	ST	LAXMAN MAKWANA	NAGJI MAKWANA	03-Feb-84	VILL.-SEMELIYA POST-BODGOVN TEH.-BANSWARA SEMELIYA PINCODE 327001 DIST. BANSWARA	GOVT.U.P.S.NADA(08280114202)	GHATOL	BANSWARA	

हनु
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा